संख्या-127/2026/1199/सैंतीस-2-2026/001-1(5)/2022-1667662

प्रेषक,

**मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,**
**संयुक्त सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**निदेशक,**
**प्रशासन एवं विकास,**
**पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 जून, 2026

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-15 के अधीन भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन योजना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-68/प0-1/9ख/भे.एवंब.प्रशि.केन्द्र/2026-27, दिनांक-19.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-05-भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-46.14 लाख (रूपये छियालिस लाख चौदह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

| मानक मद | स्वीकृत धनराशि (लाख में) |
|---|---|
| 04-यात्रा व्यय | 0.50 |
| 07-मानदेय | 4.50 |
| 09-विद्युत देय | 3.00 |
| 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 0.50 |
| 42-अन्य व्यय | 3.50 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 1.50 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 6.00 |
| 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 26.64 |
| **योग-** | **46.14** |

**(रूपये छियालिस लाख चौदह हजार मात्र)**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) धनराशि का कोषागार से आहरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जब योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित कर सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में अनुदान का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(6) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।

(7) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(8) जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(9) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(10) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001060500 (भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 015 | 2403001060500 | 04 | 50,000 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | यात्रा व्यय | ( रुपये पचास हजार मात्र ) |
| 2 | 015 | 2403001060500 भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | 07 मानदेय | 4,50,000 ( रुपये चार लाख पचास हजार मात्र ) |
| 3 | 015 | 2403001060500 भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | 09 विद्युत देय | 3,00,000 ( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 4 | 015 | 2403001060500 भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 50,000 ( रुपये पचास हजार मात्र ) |
| 5 | 015 | 2403001060500 भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | 42 अन्य व्यय | 3,50,000 ( रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र ) |
| 6 | 015 | 2403001060500 भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति | 1,50,000 ( रुपये एक लाख पचास हजार मात्र ) |
| 7 | 015 | 2403001060500 भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 6,00,000 ( रुपये छह लाख मात्र ) |
| 8 | 015 | 2403001060500 भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 26,64,000 ( रुपये छब्बीस लाख चौंसठ हजार मात्र ) |
| | **कुल** | | | **46,14,000 ( रुपये छियालीस लाख चौदह हजार मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 46,14,000 ( रुपये छियालीस लाख चौदह हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

**(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)**
संयुक्त सचिव।

**पृ0सं0-127/2026/1199(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(5)/2022-1667662, तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)**
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।